बिहार सरकार

शिक्षा विभाग

आदेश

सं0–03/मु02–15/2026...../श्री कमलेश झा, तत्कालीन उप निदेशक, उच्च शिक्षा सम्प्रति सेवानिवृत्त को अपने कार्यावधि में की गयी वित्तीय अनियमितताओं, सरकारी कोष के गबन एवं घोर कदाचार के आरोप में विभागीय अधिसूचना संख्या–35 दिनांक 07.01.1994 द्वारा निलंबित किया गया एवं अधिसूचना संख्या–1687 दिनांक 20.12.1995 द्वारा सेवा से बर्खास्त कर दिया गया।

2. श्री कमलेश झा द्वारा उक्त दंडादेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, पटना में याचिका संख्या–510/96 दायर किया गया। याचिका संख्या–510/96 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 16.01.1998 को पारित न्यायादेश के आलोक में अधिसूचना संख्या–774 दिनांक 27.05.1999 द्वारा आदेश निर्गत की तिथि से सेवा में बहाल किया गया एवं सेवा में आने की तिथि से पुनः निलंबित करते हुए विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

3. श्री झा के विरूद्ध चल रही विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा के उपरांत निम्नांकित दंड के साथ श्री झा को निलंबन से मुक्त करने का निर्णय लिया गया –

क) संचयात्मक प्रभाव से पाँच वेतन वृद्धि का रोकी गयी।

ख) श्री झा को कार्यालय प्रधान के पद पर पदस्थापन से स्थायी रुप से वंचित किया जाता है।

ग) श्री झा पूरे सेवाकाल में कोई भी महंत्वपूर्ण पद धारण करने से वंचित रहेंगें।

घ) इसकी प्रविष्टि श्री झा की सेवा पुस्तिका में की जाय।

4. विभागीय अधिसूचना संख्या–1038 दिनांक 27.05.2002 द्वारा श्री झा को दिनांक 20.12.1995 से दिनांक 27.05.1999 (बर्खास्तगी अवधि) तक निलंबन में मानते हुए उक्त अवधि के लिए मात्र जीवन निर्वाह भत्ता के भुगतान का निर्णय लिया गया।

5. पारित दंडादेश के विरूद्ध श्री कमलेश झा द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सी0डब्लु0जे0सी0 संख्या–19004/2015 दायर किया गया। सी0डब्लु0जे0सी0 संख्या–19004/2015 में दिनांक 26.03.2019 को पारित आदेश में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिया गया न्यायादेश का कार्यकारी अंश निम्न है :–

"..... 12. State Counsel has, however, drawn attention of the Court towards another Notification dated 27.05.2002 issued in exercise of jurisdiction under Rules 96 and 97 of Bihar Service Code wherein a decision has been taken to deny any other benefits to the petitioner except subsistence allowance for the period 20.12.1995 to 22.05.1999. The same does not alter the position. The effect of the Notification dated 27.05.2002 is also to the extent that within the period of punishment that is from 1993 to 1998-1999, the petitioner's entire emoluments other than subsistence allowance have been withheld. Notification dated 27.05.2002 also does not contemplate withholding of any dues of the petitioner beyond 22.05.1999. It is now for the Accountant General to work out the admissible benefits of the petitioner after giving him notional and actual benefits both from

June, 1999 onwards. This is the position in view of the admitted stand of the State that the punishment has to be given effect to under the 1998 Circular, w. e. f. the date of allegation/charge, i e, 1993-1994. Accordingly, punishment of withholding of five annual increments would cease to have its effect five years thereafter, i e, in the year, 1998-1999."

6. श्री कमलेश झा के निलंबन अवधि दिनांक 27.05.1999 से दिनांक 11.11.2001 तक के सेवा निरुपण एवं वेतन/भत्तों की अनुमान्यता के संबंध में निर्णय नहीं लिया गया है।

7. सी0डब्लु0जे0सी0 संख्या–19004/2015 में दिनांक 26.03.2019 को पारित आदेश के आलोक में श्री कमलेश झा के निलंबन अवधि के वेतन–भत्ता एवं सेवा निरूपण के संबंध में समीक्षोपरांत अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा निम्नवत् निर्णय लिया गया है –

"श्री कमलेश झा, तत्कालीन उप निदेशक, उच्च शिक्षा सम्प्रति सेवानिवृत्त के दिनांक 27.05.1999 से दिनांक 11.11.2001 तक की निलंबन अवधि को सभी प्रयोजनों के लिए कर्तव्य पर बितायी गई अवधि मानी जाएगी" ।

8. उक्त पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/
(विजय कुमार पाण्डेय)
निदेशक (प्रशासन)

ज्ञापांक–सं0–03/मु02–15/2026 34 / पटना, दिनांक– 04/11/2026

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, बिहार, पटना/माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/शिक्षा विभाग अंतर्गत सभी निदेशक/प्रबंध निदेशक/परियोजना निदेशक, शिक्षा विभाग/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/श्री कमलेश झा, तत्कालीन उप निदेशक, उच्च शिक्षा सम्प्रति सेवानिवृत्त (पता – 301, शिव मंदिर, नई जक्कनपुरा, आर0 ब्लॉक, पटना–800001)/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–02 एवं आई.टी. मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक (प्रशासन)